

ई0सी0 सख्या 01/2017
सरकार बनाम मारुफ
धारा 135 ई0सी0एक्ट
थाना हापुड़ देहात

07.02.2017

आज पत्रावली लोकअदालत में पेश हुई ।

अभियुक्त मारुफ स्वयं एवं वादी मुकदमा की तरफ से विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता श्री टी0डी0वर्मा उपस्थित हैं ।

अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया अपने अपराध की संस्वीकृति अधारा 135 ई0सी0एक्ट की गई । अभियुक्त का कथन है कि वह एक मजदूरी पेशा व्यक्ति है , अतः कम से कम दण्ड से दण्डित करने की याचना की गई है ।

सुना । पत्रावली का अवलोकन किया ।

अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया की गई संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त मारुफ को धारा 135 ई0सी0एक्ट दोषसिद्ध किया जाता है । उक्त अपराध के लिए अभियुक्त को 3000/- रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त 15 दिन के साधारण कारावास की सजा काटेगा ।

(अमरजीत त्रिपाठी)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट, हापुड़

